मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2479
17 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

कर्मचारियों को मानदेय प्रदान किया जाना

2479 # श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के आधार पर काम पर रखे गए कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय किया गया मानदेय देने एवं दिलाने हेतु कृतसंकल्पित है;

(ख) यदि हां, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल सहित, कुशल, अकुशल और अन्य प्रकार के कर्मचारियों को भुगतान दिए जा रहे न्यूनतम मानदेय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देव नगर, करोल बाग में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की निविदा में आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय के आधे से भी कम का भुगतान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस तरह की मनमानी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के तहत सभी संविदाओं में, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के भुगतान की शर्तों को बताया गया है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, आऊटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को निर्धारित वेतन के अलावा, मानदेय का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

****